

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:-प.12(6)साप्र/2/2023

जयपुर, दिनांक: 11.02.2025

-: आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी घोषणा के अनुसार राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं के रिक्त पदों पर उप चुनाव माह फरवरी, 2025 में करवाये जाने से संबंधित प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। पंचायतीराज संस्थाओं में घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोकसूचना दिनांक 29.01.2025 को जारी हो गई है एवं मतदान दिनांक 14.02.2025 (शुक्रवार) को होगा। अतः आदर्श आचार संहिता के भाग-7 की पालना के साथ-साथ निम्नांकित बिन्दुओं की पालना भी सुनिश्चित करवाने का श्रम करें:-

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेंगे। केवल ऐसी स्थिति में जहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहाँ उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो वे किसी सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते हैं तो उस पर लालबत्ती या सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाएँ।
4. माननीय मंत्रीगण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहाँ स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अम्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. सरकारी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेंगे।
उक्त आदर्श आचार संहिता बोर्ड/निगम के अध्यक्ष, जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त है पर भी समान रूप से लागू होंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड़)
वरिष्ठ उप शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: 7(2)(7)/पंचा/रानिआ/2024/ 567

दिनांक: 11.02.2025

प्रतिलिपि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचा.चुनाव) राजस्थान, को पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव माह फरवरी, 2025 - आदर्श आचार संहिता के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अम्बा लाल मीणा)
उप सचिव